राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव, पौड़ी (गढ़वाल)

उत्तराखण्ड

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल, (टिहरी, गढ़वाल)

से सम्बद्ध

शैक्षणिक विवरणिका 2022—23

ई—मेल मूल्य : रू0 60/—

gdcmajramahadev@gmail.com

राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव, पौड़ी (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

शैक्षणिक कलैण्डर सत्र 2022–23

1. प्रवेश पंजीकरण की पूर्व प्रारम्भ तिथि	16 जुलाई, 2022 से
1. (अ) प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि	18 अगस्त 2022 तक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं (प्रथम सैमेस्टर) में प्रवेश	
2. बी0ए0 प्रथम वर्ष/प्रथम सैमेस्टर में प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	31 अगस्त 2022
3. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ की तिथि	01 सितम्बर, 2022
बी0ए0 द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष (वार्षिक पाठ्यक्रम)/तृतीय, पंचम एवं सप्तम सैमेस्टर और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की तिथि	
1. प्रवेश आवेदन–पत्र प्राप्त करने की तिथि	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 07 दिनों के अन्तर्गत
2. प्रवेश–शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	प्रवेश आवेदन जमा करने के 03 दिनों के अन्तर्गत
3. वार्षिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि	20 सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ
4. सैमेस्टर कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि (ऑनलाईन/ऑफ लाईन एंव मिश्रित मोड)	01 अक्टूबर, 2022 से प्रारम्भ

राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव, पौड़ी (गढ़वाल)

संक्षिप्त परिचय (Brief Introduction)

राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव, पौड़ी (गढ़वाल) की स्थापना शासनादेश संख्या 1304/xxiv(7)घोषणा–1/2010 दिनांक 04.08.2010 उ0शि0नि0 डिग्री प्लान/10028/2010–11 दिनांक 11.10.2010 को हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और संस्कृत विषयों के साथ की गई।

महाविद्यालय पौड़ी मुख्यालय से लगभग 55 किमी0 दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–121 पर स्थित है।

ध्येय (Vision)

विद्यार्थियों को समाज, राष्ट्र, विश्व एवं वस्तुतः सम्पूर्ण मानवता के कल्याण हेतु समर्पित व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने वाली विद्यार्जन प्रणाली विकसित करना।

हमारा उद्देश्य (Our Mission)

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करना।
2. रोजगारपरक शैक्षिक वातावरण निर्मित करना।
3. महाविद्यालय के विद्यार्थियों की रूचि–क्षमता के अनुरूप मार्गदर्शन करना।
4. विद्यार्थियों को संवेदनशील एवं आदर्श नागरिक बनाना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन उपकरणों जैसे, ई–पुस्तकालय, वाई–फाई, डिजिटल लॉकर, 4G आदि सुविधाएं के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।
6. अत्याधुनिक क्रीड़ा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
7. प्रतिभाओं को चिन्हित कर विविध मंच प्रदान करना।
8. स्थानीय परम्परागत लोककला एवं संस्कृति से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
9. साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला आदि विधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना।

2. पाठ्यक्रम

नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जाएगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जाएगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सार्टिफिकेट के साथ, दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगाार –परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। व़िद्यार्थी निकास के पश्चात् अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा, किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्ण पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी, तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्ण पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3. प्रवेश

सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर/महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। परिसर/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दे सकेंगे। प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच –पड़ताल कर महाविद्यालय द्वारा किए जाएंगे।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग/संकाय के लिए पूर्ण पात्रता (Pre-Requisite)

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकायों के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलाएगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

3.2 तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) कर सकता है।

3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है। एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

3.4 विद्यार्थी को विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नही

3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

3.6 मेजर/माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

3.7 बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उनके द्वारा लिए गये तीन मुख्य विषयों के अतरिक्त) लेना होगा।

3.8 तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें से कम से कम एक अतिवार्यतः अपने संकाय के अतरिक्त अन्य संकाय से हो।

किसी संस्था में एक ही संकाय की स्थिति मे अथवा संस्थान के स्तर पर अपने संस्थान के अन्य विभाग से लिया जा सकता है। माइनर इलेक्टिव कार्स ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

3.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) में माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

3.10 विद्यार्थी को प्रथम द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर

माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पांचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

3.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

3.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर/पेपर की कक्षाएं फैक्ल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षाएं भी उसी के साथ संचालित की जाएंगी।

4. पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों (समूह अ, समूह ब तथा समूह स) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2022–23 हेतु प्रभावी होंगे। आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Hindi	Drawing	Economics
English	Home Science	History
Sanskrit	Education	Political Science
	Geography	Philosophy
	Music	Sociology
	Psychology	
	Military & Defence Studies	
	Anthropology	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन प्रमुख/मेजर (02 कोर व एक 01 इलेक्टिव) विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

किसी एक ही समूह के दो मेजर कोर लेने के पश्चात् मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अंतः संकाय से लिया जाएगा विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का चयन मेजर कोर के रूप में कर सकता है। किसी एक समूह से तीन प्रमुख/मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। अतः, विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

कौशल विकास/रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ मे विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019 दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्रवाई अपेक्षित है।

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी का प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स 12(3×4) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम के साथ पूर्ण करना होगा।

महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी।

6. सह– पाठ्यक्रम

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।

6.2 विद्यार्थी को हर समय सह– पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड ता अंकित होंगे, परंतु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जाएगा।

6.3 ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत होंगे:

प्रथम सेमेस्टर	:	संपर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्री मद भागवत गीता में प्रबंधन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान/वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान/रामचरित मानस में अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्टम सेमेस्टर	:	भारतीय पांरपरिक ज्ञान का सार/विवेकानन्द अध्ययन

प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश
(Rules & Regulations for Admission)

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पहले एवं विषयों का चयन करते समय निम्नलिखित प्रवेश नियमों को भली प्रकार से पढ़ लें।

1. प्रवेश के समय को प्रवेश समिति के समक्ष अपने मूल प्रमाण–पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे आपदा आदि में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का विकल्प रहेगा।
2. डाक द्वारा प्राप्त, अपूर्ण/हस्ताक्षर– रहित तथा किसी भी अन्य द्वारा जमा कराए गए आवेदन– पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. नए प्रवेशार्थी प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित हों:
   (क) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिकाओं/प्रमाण– पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
   (ख) स्थानान्तरण प्रमाण– पत्र (टी.सी.) मूल प्रति।
   (ग) अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र–प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(घ) व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

(ड) पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो।

(च) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS की आरक्षण श्रेणी में आच्छादित होने के लिए तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

4. बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु–इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
5. बी0एससी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
7. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है।
8. जो प्रवेशार्थी गत वर्ष में महाविद्यालय का संस्थागत विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन के साथ विगत् उत्तीर्ण परीक्षा की स्वप्रमाणित अंकतालिका संलग्न करना अनिवार्य है।
9. अंक सुधार परीक्षा (Back Paper) के उपरान्त केवल उन्हीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा जो पहले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं।
10. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के पूर्व, निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
11. ऐसे विद्यार्थी ही भूतपूर्व छात्र के रूप में स्वीकार किये जाएंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूर्ण की हो और विश्वविद्यालय द्वारा उनका नियमानुसार प्रवेश–पत्र व अनुक्रमांक निर्गत किया गया हो और जिनकी वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा अस्वस्थता के कारण छूट गई हो।
12. अपूर्ण आवेदन– पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार करने या बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने या किसी भी आवश्यक तथ्य को छुपाने की जानकारी प्राचार्य को प्राप्त होने पर सम्बन्धित का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
14. UGC की Website-www.antiragging.in पर जाकर Online एण्टी–रैगिंग प्रपत्र अभ्यर्थी द्वारा व उसके अविभावक द्वारा भरा जाएगा तथा उसका Print Out प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ लगाना होगा।
15. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्र–संघ चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पन्न होंगे।
16. किसी संकाय/विषय में स्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश आवेदन–पत्र जमा होने पर प्रवेश मेरिट सूची के अनुसार होंगे।
17. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर कट–ऑफ मैरिट–सूची के आधार पर प्रवेश मिलेगा।
18. अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश पूर्व अपने जिले के पुलिस अधीक्षक/थानाध्यक्ष से पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र (हस्ताक्षर, नाम एवं सील सहित) प्रस्तुत करना होगा।
19. प्रवेश–शुल्क जमा करने के बाद का किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा।
20. अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके प्रवेशार्थी को इस महाविद्यालय में प्रवेश देय नहीं होगा।
21. जिन छात्रों की गतिविधियाँ अनुशासन मण्डल/प्रशासन की दृष्टि से अवांछनीय होंगी उन्हें प्रवेश से रोका जा सकता है या, उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
22. प्रवेश के संबंध में समस्त सूचनाएं सूचना–पट्ट पर चस्पा होंगी। इसलिए समस्त विद्यार्थी समय–समय पर सूचनापट्ट का अवलोकन करते रहें।

23. उपरोक्त प्रवेश नियमों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, (टिहरी, गढ़वाल) द्वारा संशोधित अथवा नवीनतम निर्देशों एवं नियमों को भी प्रभावी माना जाएगा।

कला संकाय (Art Faculty) (स्नातक)

महाविद्यालय में कला संकाय एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पठन–पाठन होता है। स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत निम्न विषयों में अध्ययन की सुविधा है।

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत
4. भूगोल
5. समाजशास्त्र
6. राजनीति विज्ञान
7. इतिहास
8. अर्थशास्त्र
9. सैन्य विज्ञान

कला संकाय हेतु सामान्य नियमः–

1. स्नातक में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (10+2) या उसके समकक्ष परीक्षा में 40% अंक अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
2. विषयों तथा पाठ्यक्रमों का निर्धारण पूरी तरह शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगा।
3. प्रत्येक विषय में 60 सीटें निर्धारित हैं।
4. बी0ए0 (द्वितीय वर्ष) में पर्यावरण विज्ञान विषय का अध्ययन अनिवार्य है।

शुल्क (Fee)

1. शुल्क का निर्धारण शासन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु शुल्क–विवरण नोटिस–बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा।

विद्यार्थियों हेतु आवश्यक नियम

उपस्थिति नियम (Rules of Attendance)

सभी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 258(1)15–(उ0शि0)71/97 दिनांक 11जून 1997 के अनुसार काई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान या प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता।

अनुशासन (Discipline)

महाविद्यालय में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए एक नियन्ता मण्डल का गठन किया जाता है। नियन्ता मण्डल द्वारा महाविद्यालय में समय–समय पर अनुशासन सम्बन्धी नियम बनाएं जाते हैं, जिनका अनुपालन समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। नियन्ता–मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों द्वारा नियम का पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके किसी भी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर नियन्ता मण्डल को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरूद्व उचित कार्रवाई/निष्कासन की संस्तुति कर सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए भी आवश्यक हो जाती है जिसे महाविद्यालय का वातावरण दूषित न हो और छात्र/छात्राओं शिक्षकों व कर्मचारियों की शान्ति भंग न हो तथा उनके नैतिक दायित्वों/कार्यो में बाधा उत्पन्न न हो। महाविद्यालय के सभी

विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे अपनी गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखे तथा किसी भी स्थिति में उनकी अवहेलना न करे।

1. महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारियों के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
3. जाली हस्ताक्षर, जाली कागजात, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
4. किसी भी कार्य में हिंसा अथवा बल का प्रयोग तथा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति–व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना।
7. कक्षाओं में शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना।
8. परिसर में किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थ का सेवन करना।
2. महाविद्यालय परिसर के कमरों, दीवारों, कक्षों तथा दरवाजों पर लिखना और उन पर विज्ञापन या इश्तहार लगाना।
3. प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों को लेने/ मानने से इनकार करना या उनका उल्लंघन करना।
4. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना।
5. महाविद्यालय के अधिकारी/नियन्ता या शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना
6. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला आदि चबाना और काला चश्मा (दृष्टि बाधित को छोड़कर) पहनना निषेध होगा।

परिचय–पत्र (Identity-Card)

महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र को नियन्ता कार्यालय से परिचय–पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा। छात्र/छात्रा के लिए परिचय–पत्र हमेशा अपने साथ रखना आवश्यक है। यदि कभी नियन्ता मण्डल का कोई सदस्य परिचय–पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी नहीं दिखाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी (बाह्य) व्यक्ति समझा जाएगा।

प्रथम बार निर्गत परिचय–पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र नियन्ता कार्यालय से निर्गत होता है किन्तु इसके लिए 50 (पचास) रूपया महाविद्यालय/बैंक में जमा करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रवेश–शुल्क रसीद प्रस्तुत कर मुख्य नियन्ता को इस आशय का आवेदन पत्र दें कि वास्तव में प्रवेश– पत्र खो गया है और वह संस्था का नियमित विद्यार्थी है।

गणवेश (Dress Code)

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्रांक सं0 डिग्री सेवा/नि0का0/4070–4190/2017–18(P.S) दिनांक 17 जून 2017 के अनुपालन में शिक्षण सत्र 2017–18 से महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु ड्रेस निर्धारित कर दी गई है। प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश पहनकर आना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचना–पट्ट का अवलोकन करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किए है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान एवं रैगिंग–विरोधी समिति गठित करें जो रैगिंग जैसे अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य पर अपराधि को दण्डित करना सुनिश्चित करें। रैगिंग जैसे जघन्य अपराध को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ सख्त नियम तैयार किए है। इसके तहत रैगिंग में लिप्त पाए गए विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और ढाई लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। संस्थान की रैगिग विरोधी समिति द्वारा दोषी पाए जाने अपराध की गंभीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की जा सकती हैः

1. संस्थान से निलंबन एवं निष्कासन।
2. प्रवेश निरस्त किया जाना।
3. शैक्षिक सुविधाओं का वापस लिया जाना।
4. किसी समय–विशेष के लिए संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाना।
5. न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना इत्यादि।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता। (Anti Ragging Committee/Anti Ragging Squad)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या 310/04 एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू0जी0सी0 एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti-Ragging Squad) का गठन किया गया जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग संबंधी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखता है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करता है।

विद्यार्थियों के विकासोन्मुखी शिक्षणेतर गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के साथ–साथ विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियां महाविद्यालय में आयोजित की जाती हैं।

छात्र–संघ (Student Union

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं लिंगदोह समिति की सिफारिश एवं शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र–संघ चुनाव, सम्पन्न कराए जाते हैं। छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा 06 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, एक पद विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का होगा। कोई भी पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकता है। छात्र संघ चुनाव प्रत्येक संकाय/कक्षा हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार कराए जाएंगे। छात्र–संघ आचार–संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों का पदच्युत भी किया जा सकता है।

क्रीड़ा परिषद् (Sports Association)

विद्यार्थियों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद् का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न खेल आंतरिक बाह्य गतिविधियां संचालित की जाती हैं। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय क्रीड़ा प्रभारी के पास अपना नामांकन करवाना आवश्यक है।

सांस्कृतिक परिषद् (Cultural Association)

छात्र/छात्राओं में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूपकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाता है। परिषद् के माध्यम से विभिन्न लोक कलाओं के प्रति विद्यार्थियों में अभिरुचि पैदा करने का प्रयास किया जाता है। नियमित अन्तराल पर लोक–गायन, लोक–नृत्य, लोक–भाषा की काव्य–पाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। मेंहदी, पोस्टर, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी समय–समय पर विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक अभिरुचियों का प्रदर्शन करते हैं।

विभागीय परिषद् (Departmental Associaqion)

महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं जिसके तत्वाधान में अनेक शिक्षणेतर गतिविधियां यथा– निबन्ध, पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, शैक्षणिक भ्रमण, क्विज आदि आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने के साथ–साथ भविष्य की परिस्थितियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना है।

महिला प्रकोष्ठ (Women Cell)

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु कार्य करता है। प्रकोष्ठ छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को समझने और उसके निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सबल बनाने की विभिन्न कार्य–योजनाओं को महाविद्यालय में कियान्वित करने हेतु भी प्रकोष्ठ प्रयासरत् है।

कॅरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल
(Career Counselling and Placement Cell)

वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने तथा रोजगारपरक सूचनाएं प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक कॅरियर काउन्सलिंग सेल की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगारपरक सूचनाएं तथा उचित काउन्सलिंग कर स्वावलम्बन हेतु अभिप्रेरित किया जाता है। कॅरियर काउन्सलिंग सेल द्वारा सप्ताह में एक दिन काउन्सलिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इच्छुक विद्यार्थी इस कैरियर काउन्सलिंग सेल में अन्य दिनों भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य सुविधाएं (Other Facilities)

पुस्तकालय (Library)

(A) सामान्य कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 तक पुस्तकों का आदान–प्रदान होता है।

(B) सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को चार पुस्तकें (उपलब्ध होने पर) 15 (पन्द्रह) दिन के लिए निर्गत की जाएंगी। पन्द्रह दिन के पश्चात् पुस्तकें पुस्तकालय में वापस लौटानी आवश्यक है।

(C) इस संबंध में महत्त्वपूर्ण है कि पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत करवाते समय पुस्तकों को भली–भांति जांच कर लें। कटी–कटी अथवा पृष्ठ गायब होने की स्थिति में पुस्तक वितरण–कर्ता को अवगत कराएं, तदोपरांत पुस्तक की जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।

(D) सत्रांत/मुख्य परीक्षा प्रारम्भ तिथि से पूर्व निर्गत पुस्तकों को पुस्तकालय में जमा कर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही परीक्षा प्रवेश–पत्र दिया जाएगा।

(E) पुस्तकालय के नियम तथा वितरण व्यवस्था समय–समय पर पुस्तकालय प्रभारी द्वारा सूचना–पट्ट पर चस्पा की जाती है।

छात्रवृत्ति (Scholarship)

(A) महाविद्यालय की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती हैं–यथा–अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी छात्रवृत्ति, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति, विकलांग छात्रवृत्ति आदि छात्र/छात्रा उक्त के संबंध में छात्रवृत्ति प्रभारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(B) जिन मेधावी तथा निर्धन छात्र/छात्राओं को किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति न मिल पाई हो, वे संयोजक छात्र कल्याण परिषद् के पास निर्धन छात्र कोष (Poor Boys Fund) से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

रूसा परियोजना (RUSA)

महाविद्यालय भारत सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) महत्वाकांक्षी परियोजना से आच्छादित है जिसके अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं द्वारा महाविद्यालय उन्नति के पथ पर अग्रसर है। छात्र/छात्राओं के समग्र विकास हेतु परियोजना के अन्तर्गत निम्न सुविधाएं प्राप्त हुई हैं:

(A) विभिन्न विषयों से सम्बन्धित ज्ञानोपयोगी नवीनतम् पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय स्थापित किया गया है। कला वर्ग से सम्बन्धित उपयोगी पुस्तकों के साथ ही इस पुस्तकालय में समसामयिक तथा विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध हैं (पत्र–पत्रिकाएं प्रतियोगिता दर्पण, योजना आदि)।

(B) परियोजना के तहत कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अत्याधुनिक कम्प्यूटरों द्वारा एक कम्प्यूटर कक्ष तैयार किया गया है जिसमें बहुउपयोगी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी परियोजना के अन्तर्गत ई–लाइब्रेरी भी गतिमान है।

(C) विद्यार्थियों हेतु विभिन्न खेलों से सम्बन्धित सामग्री भी महाविद्यालय को प्राप्त हुई है जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

(D) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में लोक कलाओं के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने एवं व्यक्तित्व निखारने हेतु रूसा परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न सांस्कृतिक सामग्री भी उपयोगी है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्र (UOU)

शिक्षण सत्र 2019–20 से महाविद्यालय में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित है, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय में संस्थागत् पाठ्यक्रम में संचालित विषयों में स्नातक स्तर पर बी0ए0 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1. **समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राओं को सूचना–पट्ट पर अंकित सूचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए।**
2. **छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे और महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर समय सहयोग करेंगे।**
3. **छात्र–छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक किया–कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।**
4. **प्रत्येक छात्र–छात्रा को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य शास्ता (चीफ प्रॉक्टर) से सम्पर्क कर अपना परिचय–पत्र (आईडेन्टिटी कार्ड) प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर परिचय–पत्र दिखाना आवश्यक है।**
5. **महाविद्यालय कार्यालय में जो भी शुल्क जमा किया जाए उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

6. प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
7. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखाना छात्र/छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा गैर–इरादतन की किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।
9. गत वर्ष की परीक्षा में अनुचित सामग्री प्रयोग करते पकड़े गए अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन न करें।
10. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।
11. विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।